न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 217/2022 वाद
GCMS No. – 2022/682

श्री नगजीराम पुत्र हीरालाल गोदपुत्र रामेदव जाति धोबी उम्र 54 साल निवासी नागदा जिला नीमच म0प्र0।

–वादी

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा राज0।

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1– श्री शम्भूलाल तेली – अधिवक्ता वादी
2– पैरोकार सरकार – प्रतिवादी की और से उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक :– 26.09.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की स्वअर्जित आराजियात ग्राम केली पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 244 की आराजी नम्बर 2288 रकबा 1.2500 हैक्टेयर स्थित है जिसमें वादी के नाम के साथ उसके जाईन्दा पिता (प्राकृतिक पिता) का नाम हीरालाल धोबी का नाम दर्ज रेकार्ड हैं तथा उक्त आराजियात के साबिक आराजी नम्बर 1476 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा हैं। जो वादी ने रा[illegible]ता देवीलाल बलाई से खरीदी है। जिसका नामान्तरकरण सं[illegible] को खोला गया। इसके बाद वादी रामदेवजी के यहाँ गोद चला गया औ[illegible] उनकी सम्पत्ति पर क[illegible]आ और रामदेवजी के साथ वादी [illegible] और उनकी सेवा [illegible]कर उन्हीं के साथ निवास करता रहा इसलिये वादी के आधार कार्ड में गोद पिता का नाम रामदेव जी होने से नाम दर्ज कराया और इसी नाम से बैंक खाते में भी नाम दर्ज कराया इस प्रकार नगजीराम पिता हीरालाल धोबी एवं नगजीराम पिता रामदेव

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

धोबी मैं वादी एक ही व्यक्ति हूँ, इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। परन्तु भविष्य में नाम के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं हो इसलिये मैं उक्त राजस्व रेकार्ड में वर्तमान सही नाम नगजीराम पिता रामदेव धोबी दर्ज कराना चाहता हूँ, जिसकी खातेदारी घोषणा की जाना न्यायहित में आवश्यक है। यदि नाम के संबंध में कोई त्रुटि पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित राजस्व रेकार्ड में वादी का सही नाम नगजीराम पिता रामदेव धोबी दर्ज कर घोषित की जावें एवं खाते में पिता का नाम हीरालाल दर्ज है उसे विलोपित फरमाया जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया की मौजा केली की हाल आराजी नम्बर 2288 रकबा 1.25 हैक्टेयर श्री नगजीराम पिता हीरालाल धोबी निवासी नागदा (मध्यप्रदेश) के नाम दर्ज है, जो क्रय शुदा होकर नामान्तरकरण संख्या 1468 दिनांक 03.06.2015 से रामचन्द्र बलाई से विक्रय से वादी नगजीराम के नाम दर्ज हुई उक्त विक्रय का नामान्तरकरण संख्या 1468 में वादी क्रेता के पिता नाम हीरालाल दर्ज है। अन्य आराजी में वादी के गोद पुत्र होने से पिता का नाम रामदेव अंकन है। वादी के के अन्य रिकार्ड में भी पिता का नाम रामदेव होने से वादी ग्राम केली की आराजी नम्बर 2288 में भी पिता का नाम हीरालाल के स्थान पर रामदेव दर्ज कराना चाहता है। उक्त आराजी नम्बर क्रयशुदा है। वादी ग्राम नागदा (मध्यप्रदेश) का निवासी है। नगजीराम पिता हीरालाल व नगजीराम पिता रामदेव (गोदपुत्र) धोबी निवासी नागदा (मध्यप्रदेश) एक ही व्यक्ति होने की जानकारी जाहिर आई है। ग्राम पंचायत सरवानिया मसानी (जहाँ वादी का पैतृक गांव नागदा (मध्यप्रदेश) है।) ने भी नगजीराम के वास्तवितक पिता हीरालाल व मुतबन्ना रामेदव होने का प्रमाण–पत्र जारी किया है। वादी नगजीराम पिता हीरालाल होकर मुतबन्ना रामदेव धोबी है। वादी के सभी अन्य रेकार्ड में पिता का नाम (मुतबन्ना पिता) रामदेव अंकन होने से केली की क्रय–शुदा भूमि में भी नगजीराम पिता रामदेव अंकन कराना चाहता है।

3. वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज के रूप में ग्राम केली की नामान्तरकरण संख्या 1468 की प्रमाणित प्रति, ग्राम केली की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 244 की आराजी नम्बर 2288 रकबा 1.2500 हैक्टेयर की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति, वादी का परिवार–पत्र की फोटोप्रति स्वयं के आधार कार्ड की फोटोप्रति, 50 रूपये स्टाम्प पर स्वयं का शपथ पत्र जो नोटरी से प्रमाणित, कार्यलय ग्राम पंचायत सरवानिया मसानी जनपद–जावद, जिला नीमच (म0प्र0) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, ग्राम नागदा पटवार हल्का सरवानिया मसानी तहसील जावद जिला नीमच की वर्ष 2022–2023 की जमाबन्दी एवं खसरा नकलों की प्रमाणित प्रतियां पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

4. प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया । प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम केली की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 244 अनुसार आराजी नम्बर 2288 रकबा 1.2500 हैक्टेयर भूमि वादी श्री नगजीराम पिता हीरालाल जाति धोबी निवासी नागदा (म0प्र0) के नाम दर्ज रेकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त आराजियात के साबिक आराजी नम्बर 1476 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा है। जो वादी ने रामचन्द्र पिता देवीलाल बलाई से खरीदी थी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 1468 दिनांक 03.06.2015 को खोला गया। उक्त विक्रय का नामान्तरण संख्या 1468 में वादी श्री नगजीराम के पिता का नाम हीरालाल दर्ज है जो वादी के जाईन्दा पिता है। बाद में वादी, रामदेव के यहाँ गोद चला गया । वादी नगजीराम के आधार कार्ड, बी0पी0एल0 परिवार–पत्र, एवं संलग्न ग्राम नागदा पटवार हल्का सरवानिया मसानी तहसील जावद जिला नीमच की वर्ष 2022–2023 की जमाबन्दी एवं खसरा में वादी नगजीराम के नाम के साथ पिता का नाम रामदेव धोबी दर्ज है। इसलिए वादी नगजीराम ग्राम केली की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 244 की अपनी खरीद शुदा आराजी नम्बर 2288 रकबा 1.2500 हैक्टेयर में भी अपने जाईन्दा पिता हीरालाल धोबी के बजाय गोदी पिता रामदेव धोबी दर्ज कराना चाहता है। वादी ने 50 रूपये के स्टाम्प पर स्वयं का शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित पेश किया जिसमें वादी ने अंकित किया "मैं नगजीराम पिता रामदेव जाति धोबी उम्र 54 साल निवासी नागदा तह0 जावद जिला नीमच म0प्र0 का होकर मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे प्राकृतिक जैविक पिता का नाम हीरालाल है तथा मैं रामदेव जी के यहां गोद चला गया इसलिए मेरे आधार कार्ड एवं राजस्व अभिलेखों में मेरा नाम नगजीराम पिता रामदेव धोबी दर्ज चला आ रहा है जो सही है तथा मैने जो जमीन खरीदी उसमें सहवन से मेरे पिता का नाम हीरालाल दर्ज हो गया। इसलिये उक्त जमीन में सही नाम नगजीराम पिता रामदेव दर्ज किया जावे। यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो मैं स्वयं जवाबदार रहूँगा।" वादी ने वाद के समर्थन में कार्यलय ग्राम पंचायत सरवानिया मसानी जनपद–जावद, जिला नीमच (म0प्र0) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा यह प्रमाणित किया कि "रामेदव पिता गणेश जाति धोबी ग्राम नागदा तहसील जावद जिला नीमच म0प्र0 के स्थाई मूल निवासी होकर इनकी मृत्यु लगभग 47 वर्ष पूर्व हो गई है इनकी मृत्यु के पश्चात् इनकी भूमि पर राजस्व अभिलेखों में नगजीराम पिता रामदेव का नाम दर्ज है नगजीराम दत्तक पुत्र है। नगजीराम के जैविक [illegible] हीरालाल दत्तक पुत्र रामदेव है।" तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट [illegible] ग्राम केली की हाल आराजी नम्बर 2288 रकबा 1.25 हैक्टेयर श्री नगजीराम पिता हीरालाल धोबी निवासी नागदा (मध्यप्रदेश) के [illegible] क्रय शुदा होकर नामान्तरकरण संख्या 1468 दिनांक 03.06.2015 से रामचन्द्र बलाई से विक्रय से वादी नगजीराम के नाम दर्ज हुई उक्त विक्रय का नामान्तरकरण संख्या 1468 में वादी क्रेता के पिता नाम हीरालाल दर्ज है। अन्य आराजी में वादी के गोद पुत्र होने से पिता का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:59 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

रामदेव अंकन है। वादी के के अन्य रिकार्ड में भी पिता का नाम रामदेव होने से वादी ग्राम केली की आराजी नम्बर 2288 में भी पिता का नाम हीरालाल के स्थान पर रामदेव दर्ज कराना चाहता है। उक्त आराजी नम्बर क्रयशुदा है। वादी ग्राम नागदा (मध्यप्रदेश) का निवासी है। नगजीराम पिता हीरालाल व नगजीराम पिता रामदेव (गोदपुत्र) धोबी निवासी नागदा (मध्यप्रदेश) एक ही व्यक्ति होने की जानकारी जाहिर आई है। ग्राम पंचायत सरवानिया मसानी (जहाँ वादी का पैतृक गांव नागदा (मध्यप्रदेश) है।) ने भी नगजीराम के वास्तवितक पिता हीरालाल व मुतबन्ना रामेदव होने का प्रमाण–पत्र जारी किया है। वादी नगजीराम पिता हीरालाल होकर मुतबन्ना रामदेव धोबी है। वादी के सभी अन्य रेकार्ड में पिता का नाम (मुतबन्ना पिता) रामदेव अंकन होने से केली की क्रय–शुदा भूमि में भी नगजीराम पिता रामदेव अंकन कराना चाहता है। अतः तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट एवं वादी द्वारा वाद पत्र के संलग्न दजस्तावेजों के आधार पर ग्राम केली की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 244 की आराजी नम्बर 2288 रकबा 1.2500 हैक्टेयर भूमि में वादी नगजीराम के पिता का नाम हीरालाल के बजाय रामदेव दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी का वाद डिक्री योग्य हैं।

5. अतः वाद वादी पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा केली पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 244 की आराजी नम्बर 2288 रकबा 1.2500 हैक्टेयर भूमि में वादी नगजीराम के पिता का नाम हीरालाल के बजाय गोद पूत्र रामदेव घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। तहसीलदार निम्बाहेड़ा उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। बैंक रहन होने पर यथावत रखा जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

26/9/23

रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:59 IST
Reason: SelfAttested